

भारत सरकार  
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 980

गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

पवन सौर हाइब्रिड नीति

980. श्री मोहनभाई कुंडारिया:

श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पवन सौर हाइब्रिड नीति के उद्देश्य क्या हैं;
- (ख) उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
- (ग) क्या उक्त नीति के एक भाग के रूप में किसी योजना के अंतर्गत कोई परियोजना कार्यान्वित की जा रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) सरकार ने दिनांक 14 मई, 2018 को राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति जारी की। नीति का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, पारेषण अवसंरचना एवं भूमि के इष्टतम और कुशल उपयोग के लिए बड़ी ग्रिड-कनेक्टेड पवन सौर पीवी हाइब्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु फ्रेमवर्क प्रदान करना है। इस नीति का लक्ष्य नवीन प्रौद्योगिकियों, पद्धतियों और पवन तथा सौर पीवी संयंत्रों के संयुक्त प्रचालन के उपायों को भी प्रोत्साहित करना है।

(ख) राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति की मुख्य विशेषताओं में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- इंडक्शन जेनरेटर का उपयोग करते हुए ग्रिड से जुड़े निश्चित गति वाले पवन टर्बाइन के मामले में, समेकन एसी आउटपुट बस के एचटी भाग पर हो सकता है। तथापि, जनरेटर को ग्रिड से जोड़ने के लिए इनवर्टर का उपयोग कर रहे परिवर्तनीय गति वाले पवन टर्बाइन के मामले में, पवन और सौर पीवी प्रणाली को एसी-डीसी-एसी कनवर्टर के मध्यवर्ती डीसी बस से जोड़ा जा सकता है।
- पवन सौर हाइब्रिड संयंत्रों का आकार, संसाधन की विशेषता पर निर्भर करेगा। तथापि, एक पवन सौर संयंत्र को हाइब्रिड संयंत्र के रूप में तभी मान्यता दी जाएगी, यदि संसाधन की रेटेड विद्युत क्षमता अन्य संसाधन की रेटेड विद्युत क्षमता का कम से कम 25% है।
- मौजूदा पवन या सौर विद्युत परियोजना, जो हाइब्रिड परियोजना का लाभ उठाने के लिए क्रमशः सौर पीवी संयंत्र या डब्ल्यूटीजी को स्थापित करने के इच्छुक है, को नीति के तहत ऐसा करने की सशर्त अनुमति दी जाती है।
- हाइब्रिड परियोजना में बैटरी भंडारण इन कार्यों के लिए जोड़ा जा सकेगा: (i) पवन सौर हाइब्रिड संयंत्र से आउटपुट विद्युत की परिवर्तनीयता को कम करने के लिए; (ii) पवन सौर हाइब्रिड संयंत्र में पवन और सौर विद्युत की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना द्वारा एक डिलीवरी प्वाइंट पर दी गई क्षमता (बोली/स्वीकृति क्षमता) के लिए उच्च ऊर्जा आउटपुट प्रदान करना; एवं (iii) किसी निश्चित अवधि के लिए सतत विद्युत की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।

(ग) और (घ): अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन संस्थाएं (आरईआईए), जैसे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एसजीवीएन लिमिटेड, और एनएचपीसी लिमिटेड ने सौर-पवन हाइब्रिड परियोजनाओं, पीक घंटों के दौरान सुनिश्चित आपूर्ति के साथ सौर पवन हाइब्रिड परियोजनाएं और चौबीसों घंटे (आरटीसी) अक्षय विद्युत जैसी निविदाएं जारी की हैं। दिनांक 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार, लगभग 1.44 गीगावाट की हाइब्रिड परियोजनाओं को पहले ही चालू किया जा चुका है।

\*\*\*\*\*